

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 94/2003

आरसीएमएस नं. :-2003/00011

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

लीलाधर पुत्र बट्टीप्रसाद जाति महाजन निवासी भादरा

— रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 26.10.2001 प्र. सं. 533/94

अनवान लीलाधर बनाम सरकार



अपील स्थिति:-
श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 10.11.22

- यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के द्वारा चक 8 बरानी भादरा के मु0 नं0 139 के किला नं. 23-24 की 2 बीघा भूमि का वादी को खतोदार काश्तकार घोषित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।
 3. राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
 4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी जो कभी भी रेस्पोंडेंट के कब्जा काश्त में नहीं रही है। जिसे रेस्पोंडेंट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार

Lam
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नहीं है। रेस्पोंडेंट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नहीं किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोंडेंट को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलान्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने अपील में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की है जिस रिपोर्ट में अंकित है कि जमाबंदी संवत 2057-60 खात सं० 1/1 मु० नं० 39 किला नं. 23, 24 को क्षेत्रफल 0.506 है० बारानी सिवाय चक काबिल काश्त मुताबिक पटवार कागजात दर्ज थी। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोंडेंट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.10.2001 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 10.11.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Levio
 10.11.22
 (करतारसिंह पूनिया)
 राजस्थान अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़